

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क 87ए/2016  
संस्थित दिनांक-19.12.2016  
फा.नंबर-3003822016

बाबूलाल वैध उम्र-46 वर्ष पिता श्री बस्तीराम वैध,  
जाति महार, निवासी ग्राम पल्हेरा थाना मलाजखंड  
तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....वादी

:: विरुद्ध ::

1.मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी महोदय बालाघाट,  
2.आम जनता।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(दिनांक 16.11.2017 को घोषित)

1— यह वाद लीला वैध पति बाबूलाल वैध को मृत घोषणार्थ व लीला वैध के पति बाबूलाल वैध पिता बस्तीराम वैध को वैध वारसान की घोषणा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादी की पत्नि लीला वैध उपस्वास्थ्य केन्द्र बाकल में ए.एन.एम. के पद पर पदस्थ थी, जो वर्ष 2006 से अपने कार्य पर अनुपस्थित है तथा जिसके संबंध में गुम होने की सूचना रोजनामचा सान्हा दिनांक 26.03.2009 गुम इंसान क्रमांक 07/09 थाना मलाजखंड में दर्ज कराई गई थी। यह भी स्वीकृत है कि वादी द्वारा लीला वैध के स्वत्वों के निराकरण हेतु प्रतिवादी क्रमांक 01 के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था, परंतु सेवा पुस्तिका में नाम न होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था।

3— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ग्राम पल्हेरा तहसील बिरसा जिला बालाघाट का निवासी है, जिसकी पत्नि लीला वैध उप

स्वास्थ्य केन्द्र बाकल में ए.एन.एम. के पद पर पदस्थ होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधीनस्थ कार्य कर रही थी और मई वर्ष 2006 से अपने कार्य पर अनुपस्थित थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं और लीला वैध उनके अधीनस्थ कार्य करती थी, जिनके पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के निराकरण हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। लीला वैध वर्ष 2006 से कार्य में अनुपस्थित थी और वर्तमान तक वापस नहीं लौटी। उक्त वाद में आम जनता को भी पक्षकार बनाया गया है, परंतु आम जनता से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

4— वादी अपनी पत्नि के गुम होने की सूचना रोजनामचा सान्हा दिनांक 26.03.2009 गुम इंसान क्रमांक 07/2009 थाना मलाजखंड में दर्ज की थी कि उसका विवाह सामाजिक जाति रीति रिवाज अनुसार लीलाबाई निवासी आवलाझरी के साथ हुआ था। वर्ष 2000 से वादी की पत्नि लीलाबाई का मानसिक संतुलन खराब हो गया और ईलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ० गोविन्द बग नागपूर से करवाया था और डॉ० भूते से नागपूर में ईलाज करवाया था, परंतु ठीक नहीं हुई वर्ष 2006 में गर्मी के समय मानसिक संतुलन ज्यादा खराब हो गया था, जिसमें नौकरी पर नहीं जाती थी तथा उसे पता कर घर लाता था। अप्रैल 2007 में गर्मी के समय बिना बताये घर से भाग गई थी, जिसकी तलाश रिश्तेदारी में आवलाझरी, कुम्हारी हट्टा व डिंडोरी में की गई थी और आस-पास भी पता किया गया तथा उक्त संबंध में शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट में भी गई थी और काफी पतासाजी करने पर थाना मलाजखण्ड द्वारा गुम इंसान क्रमांक 07/2009 अप्रैल 2007 की कायमी की गई थी।

5— लीला वैध मई 2006 से लगातार अनुपस्थित थी, इस आधार पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरसा द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय से संपर्क स्थापित करने को कहा गया था। वादी की पत्नि अप्रैल, 2007 से बिना बताये घर से मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण चली गई थी, जो 07 वर्ष के पश्चात भी घर वापस नहीं आई। इस आधार पर

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी के पति को दिनांक 26.11.2016 को पेंशन व अन्य स्वत्वों के निराकरण के लिए पत्र जारी किया गया।

**6—** गुम इंसान लीला वैध की तलाश पतासाजी के 07 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तलाश बंद एवं डायरी स्टेशन फाईल अनुमति हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया है। गुम इंसान की तलाश बंद कर डायरी स्टेशन फाईल की जाती है। इस आधार पर वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से संपर्क करने पर नियमानुसार स्वत्वों का भुगतान किया जावेगा और उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि लीला वैध के सेवा काल में स्वयं की माँ श्रीमती पार्वतीबाई के नाम से नामिनेशन किया गया है, दूसरे का नाम नहीं है। वादी द्वारा कार्यालय में नाम परिवर्तन की सूचना दिनांक 08.06.2000 व शपथ पत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 को बताया गया, फिर भी वैध वारसान होने के संबंध में प्रमाण पत्र मांगा गया, जबकि लीला वैध से वादी का विवाह 18.05.2000 को हो गया और वैधानिक रूप से उक्त स्वत्वों का निराकरण प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादी के पक्ष में कर विभिन्न स्वत्वों का निराकरण किया जाना उचित था, फिर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा स्वत्वों का निराकरण नहीं किया गया।

**7—** श्रीमती लीला वैध ने नाम परिवर्तन की सूचना दिनांक 29.08.2000 व एक आवेदन दिनांक 26.07.2000 को प्रतिवादी क्रमांक 01 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत की थी, जिस आधार पर एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम दर्ज किया जावे, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वादी की पत्नी को गुम हुए 07 वर्ष हो चुके हैं, इस आधार पर कानूनन मृत माना जाता है, इस आधार पर वादी को नौकरी भी प्रदत्त नहीं की गई और ना ही उक्ताशय के संबंध में विचार किया गया है।

**8—** श्रीमती लीला वैध का विधिवत जातिगत रीति से विवाह दिनांक 18.05.2000 को वादी से हुआ था, समस्त दस्तावेजों में भी वादी का नाम दर्ज है, श्रीमती लीला वैध एवं वादी से उत्पन्न कोई संतान नहीं है, जिसके आधार पर लीलाबाई वैध का एक मात्र वारसान वादी है। वादी बेरोजगार व्यक्ति है। विभाग द्वारा नौकरी प्रदान नहीं किये जाने से

वादी परेशान है। वादी ने मई 2006 से लगातार अपनी पत्नि को तलाश किया और दिनांक 28.03.2007 को रिपोर्ट दर्ज की, जिस आधार पर गुम इंसान क्रमांक 7/09 थाना मलाजखंड द्वारा दर्ज की गई। वर्ष 2006 से लगातार ढूंढने के पश्चात भी लीला वैध का पता नहीं चला, जिससे वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 07 वर्ष पूर्ण होने पर भी वादी को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल पाई और ना ही किसी स्वत्वों का निराकरण उनके पक्ष में किया गया।

**9—** वादी द्वारा उनकी पत्नि लीला वैध के वैध वारसान होने संबंधी सूचना लीलाबाई के शासकीय दस्तावेज में नाम दर्ज करने और लिखने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश दिनांक 29.08.2000 को जारी पत्र के आधार पर वादी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदत्त नहीं की गई, जबकि वादी द्वारा समस्त दस्तावेज व शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे। लीला वैध वादी की वैधानिक पत्नि होने के कारण विभिन्न स्वत्वों का निराकरण विवाह संबंधी दस्तावेज के आधार पर निराकरण किया जाना था, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वादी द्वारा व पुलिस द्वारा भी लीला वैध को ढूंढने की कार्यवाही गई, जिसका वर्तमान तक कोई पता नहीं चला।

**10—** दिनांक 26.11.2016 को एक पत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रदत्त किया गया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 01 ने बताया कि थाना प्रभारी मलाजखंड द्वारा दिनांक 04.06.2016 गुम इंसान श्रीमती लीला वैध की तलाश 07 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और पुलिस द्वारा गुम इंसान की तलाशी बंद की जा चुकी है। उक्त आधार पर वादी के दस्तावेज को न मानते हुए वारसान प्रमाण की मांग की गई थी, जिससे वादी अत्यधिक परेशान हो गया था।

**11—** वादी द्वारा अपने वाद का मूल्यांकन 2000/- रुपये किया है, जिसमें लीलाबाई के मृत घोषणार्थ की आज्ञाप्ति हेतु 1000/- रुपये तथा लीलाबाई के पति वादी को वैध वारसान घोषित किये जाने हेतु 1000/- रुपये पर 120/- रुपये का वांछित न्यायशुल्क चस्पा किया

गया है। अतः वादी की पत्नि श्रीमती लीला वैध को रोजनाचा सान्हा मलाजखंड की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2007 व अप्रैल, 2007 के आधार पर मृत घोषित किये जाने तथा वादी को लीला वैध का वैध वारसान घोषित किया जावे।

**12—** स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह व्यक्त किया है कि श्रीमती लीला वैध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा के उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकल में ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत थी, जो मई 2006 से लगातार अनुपस्थित थी। उक्त संबंध में उसके पति बाबूलाल वैध द्वारा थाना मलाजखंड में दिनांक 26.03.2009 को गुम इंसान के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी मलाजखंड के पत्र क्रमांक 221/2016 दिनांक 04.06.2016 द्वारा सूचित किया गया कि गुम इंसान श्रीमती लीला वैध की तलाश पतासाजी के 07 वर्ष पूर्ण हो गये हैं और गुम इंसान की तलाश पतासाजी बंद कर दी गई है। बाबूलाल वैध द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी पत्नि श्रीमती लीला वैध के समस्त स्वत्वों के भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका के अवलोकन पश्चात यह पाया गया कि कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में स्वयं की माँ पार्वतीबाई के नाम से नॉमिनेशन किया गया है। अन्य कोई नाम उल्लेख नहीं है। उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 6045 दिनांक 26.11.2016 के द्वारा बाबूलाल वैध को वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। बाबूलाल वैध द्वारा वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार स्वत्वों का भुगतान/पेंशन आदि की कार्यवाही की जावेगी।

**13—** न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:—



क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या श्रीमती लीला वैध पति बाबूलाल वैध को विगत 07 वर्षों से आज दिनांक तक किसी के द्वारा देखा अथवा सुना नहीं गया है ?	प्रमाणित
2.	क्या वादी श्रीमती लीला वैध का विधिक वारसान है ?	प्रमाणित
3.	सहायता एवं खर्च ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक- 21 के अनुसार वाद स्वीकृत।

#### वादप्रश्न क01 का निष्कर्ष:-

**14-** वाद पत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बाबूलाल वैध वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उसकी पत्नि लीला वैध उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकल में प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधीनस्थ ए.एन.एम. के पद पर पदस्थ थी और वर्ष 2006 से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कार्य पर अनुपस्थित रहती थी। विवाह पश्चात से लीला वैध का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसका ईलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ० गोविंद बग नागपूर तथा डॉ० भूते से करवाया गया, परंतु ठीक न होने के कारण वर्ष 2006 में ग्रीष्म ऋतु में उसका मानसिक संतुलन काफी खराब हो गया था। उक्त कारण से वह नौकरी पर नहीं जाती थी। लीला वैध कहीं पर भी चली जाती थी, जिसे पकड़कर वह घर वापस लाता था। अप्रैल 2007 में लीला वैध गर्मी के समय बिना बताये घर से चली गई, जिसकी तलाश रिश्तेदारी में आवलाझरी,

कुम्हारी, हट्टा तथा डिण्डोरी में की गई और काफी पतासाजी करने पर पता नहीं चला तो पुलिस अधीक्षक, बालाघाट में शिकायत की गई तथा थाना मलाजखंड में गुम इंसान क्रमांक 07/09 व रोजनामचा सान्हा अप्रैल 2007 के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1052 है। उसके द्वारा अप्रैल 2007 से पागलपन के कारण बगैर बताये चले जाना लेख किया गया है। वर्ष 2007 से उसकी पत्नि आज दिनांक तक घर वापस नहीं आई है और विगत 07 वर्षों से अधिक समय के दौरान उसकी पत्नि को कहीं पर भी नहीं देखा गया है और ना ही उसके बारे में सुना गया है।

**15—** वादी बाबूलाल वा.सा.01 के अनुसार उसके पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के निराकरण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें लीला वैध द्वारा केवल अपनी माँ पार्वतीबाई के नाम का नॉमिनेशन किया जाना लेख है। उसके द्वारा सम्पर्क करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालाघाट द्वारा उसे वैध वारसान का प्रमाण पत्र लाने कहा गया, जहाँ उसने विवाह तथा नाम परिवर्तन की सूचना शपथ पत्र से समर्थित आवेदन के साथ प्रस्तुत की, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। लीला वैध से उसे कोई संतान नहीं है तथा उक्त आधार पर वह लीला वैध का एकमात्र वारसान है। वह बेरोजगार व्यक्ति है, जिसे विभाग द्वारा नौकरी भी नहीं दी गई है। अतः लीला वैध को मृत घोषित कर उसे वैध वारसान घोषित करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है।

**16—** वादी बाबूलाल वा.सा.01 के अनुसार उसने वाद के समर्थन में प्रतिवादी क्र 01 द्वारा उसे प्रदत्त पत्र दिनांक 26.11.2016 की मूल प्रति प्र.पी.01, ड्रायविंग लायसेंस प्र.पी.02, बचत पास बुक प्र.पी.03, नकल रोजनामचा सान्हा प्र.पी.04, गुम इंसान क्रमांक 07/09 अप्रैल 2007 की मूल प्रति प्र.पी.05, खण्ड चिकित्सा अधिकारी बिरसा द्वारा उसे प्रदत्त पत्र दिनांक 28.02.2013 प्र.पी.06, आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशन दिनांक

17.01.2017 प्र.पी.07, अभिस्वीकृति पत्र प्र.पी.08, विवाह दिनांक 18.05.2000 के फोटोग्राफ की फोटोकापी, लीला वैध की सेवा पुस्तिका दिनांक 13.02.89, उप नाम में परिवर्तन करने संबंधी प्रतिवादी क्रमांक 01 को दिया गया पत्र दिनांक 26.09.2000 तथा दिनांक 27.07.2000, प्रतिवादी द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.08.2000, शपथ पत्र दिनांक 03.06.2000, थाना मलाजखंड द्वारा गुम इंसान क्रमांक 07/09 की तलाश हेतु जारी इश्तेहार की कापी एवं आधार कार्ड की फोटोकापी पेश की गई। वादी के उक्त कथनों का समर्थन देवेन्द्र खोब्रागड़े वा.सा.02 तथा ललीता अगारे वा.सा.03 ने अपनी मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

**17—** प्रकरण में लीला वैध की मृत्यु की घोषणा के विषय में प्रस्तुत व्यवहार वाद की सूचना का प्रकाशन आम जनता को सूचनार्थ प्र. पी.07 के अनुसार किया गया है। प्र.पी.07 समाचार पत्र में प्रकाशन के पश्चात नियत अवधि में आम जनता की ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लीला वैध पति बाबूलाल वैध के विषय में उसके जीवित होने का कथन या इस बात की जानकारी कि वह देखी अथवा सुनी गई है अथवा कोई अन्य आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त साक्षियों के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहा गया है कि लीला वैध पति बाबूलाल वैध को वर्ष 2007 से किसी के द्वारा नहीं देखा गया है और ना ही उसकी कोई सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि लीला वैध पति बाबूलाल वैध को विगत सात वर्षों से आज दिनांक तक देखा अथवा सुना नहीं गया है।

**18—** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-107 के अनुसार "जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह सात वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है" तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-108 के अनुसार



“परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है”। उपरोक्तानुसार यदि कोई मनुष्य जीवित है या वह मर गया है और यदि यह बात साबित कर दिया गया है कि 07 वर्ष की अवधि में उसकी कोई जानकारी नहीं है तब यह साबित करने का भार, कि वह जीवित है, उस व्यक्ति होगा जो उसके जीवित होने का कथन करता है। इस प्रकरण में सर्वसाधारण आम जनता की ओर से अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट जिससे वांछित अनुतोष चाहा गया है, ने इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली है कि उन्हें लीला वैध पति बाबूलाल के जीवित होने के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है। अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि लीला वैध पति बाबूलाल वैध को विगत सात वर्ष से अधिक अवधि से देखा व सुना नहीं गया है इसलिये उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक 02**

**19—** प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत किया गया है कि वादी लीला वैध का पति है, जिसे उनके द्वारा लीला वैध के स्वत्वों के भुगतान हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था। संपूर्ण प्रकरण में यह अविवादित है कि वादी लीला वैध का पति है, जो साक्ष्य द्वारा भी प्रमाणित है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता वर्तमान न्यायालय को नहीं है, क्योंकि उस हेतु अन्य विधि के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आवश्यक है, परन्तु विधिक उत्तराधिकारी होने की घोषणा करने हेतु वर्तमान न्यायालय धारा-42 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत सक्षम है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा लीला वैध की सेवा-पुस्तिका में नॉमिनेशन न होने के कारण वादी को स्वत्वों का भुगतान करने से इंकार कर दिया गया।

तत्पश्चात वादी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कार्यवाही के पूर्व वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उक्त संबंध में लीला वैध की मृत्यु की उपधारणा की घोषणा आवश्यक थी। साथ ही वादी द्वारा धारा-42 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के उपबंधों के अधीन अतिरिक्त अनुतोष की प्रार्थना की गई। पूर्व में न्यायदृष्टांत नाकी हुसैन वि० छाजी बेगम ए.आई.आर.(12) 1925 औध 2010 तथा भूपसिंह वि० तारीफ सिंह ए.आई.आर.1952 इलाहाबाद 392 में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय द्वारा तत्संबंध में घोषणा की जा सकती है।

**20—** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(च) के अनुसार वारिस से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। प्रकरण में लीला वैध द्वारा कोई वसीयत किया जाना दर्शित नहीं है। उक्त अधिनियम की ही धारा 15 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा-16 में दिए गए नियमों के अनुसार प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों तथा पति को न्यागत होगी। चूंकि प्रकरण में लीला वैध का निःसंतान होना विवादित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा-15 के अनुसार वादी लीला वैध की संपत्ति का प्रथमतः अधिकारी है। फलतः उक्त अधिनियम के प्रकाश में यह दर्शित है कि वादी लीला वैध का विधिक वारसान है। पूर्व में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायालय द्वारा तत्संबंध में घोषणा की जा सकती है, परंतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु वादी को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना आवश्यक है। फलतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

### **सहायता एवं खर्च:—**

**21—** उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वादी का दावा लीला वैध पति बाबूलाल वैध, जाति महार, निवासी ग्राम पल्हेरा थाना मलाजखंड तहसील बिरसा

जिला बालाघाट की मृत्यु की उपधारणा की घोषणा के विषय में जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1.लीला वैध पति बाबूलाल वैध को सात वर्ष से अधिक अवधि से किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा व सुना न जाने से यह उपधारणा की घोषणा की जाती है कि लीला वैध पति बाबूलाल वैध, निवासी ग्राम पल्हेरा थाना मलाजखंड तहसील बिरसा जिला बालाघाट की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी बाबूलाल वैध लीला वैध का विधिक वारसान है।

2.प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

3.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)